

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

पं० दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मन्दिर

इण्टर कालेज, उदयपुर गोला रोड, वि०क्ष० लखीमपुर।

पत्रांक: मान्यता/

11016-23 / 2020-21

दिनांक:- 25/3/2021

विषय-उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत कक्षा 6 से 8 तक की अंग्रेजी माध्यम नवीन अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन के प्रति शासनादेश सं०-89/अरसठ-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या-540/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 02 जुलाई 2020 में वर्णित उच्च प्राथमिक स्तर के अशासनादेश विद्यालयों की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति मण्डलीय स्तर पर प्राविधानिक मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.03.2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में क्रम संख्या-03 पर अंकित उक्त विद्यालय को कक्षा-6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता शासनादेश दिनांक 11.01.2019 व 29.06.2020 एवं 02.07.2020 में निहित निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए औपबन्धित अस्थायी मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिये निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। तदोपरान्त एक वर्ष के पश्चात मान्यता के सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण एवं आर०टी०ई० के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। उल्लिखित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1-विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 2-विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोशिएशन के लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- 3-विद्यालय का संचालन सुचारु रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जायेगे तथा जिन विषयों में अध्ययन के लिए विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
- 4-बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस०सी०ई०आर०टी०ई० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
- 5-विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- 6-भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव, तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों तथा विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7-विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छुट रहेगी। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक या गैर शैक्षणिक क्रियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
- 8-विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाले संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन का रंग-रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
- 9-विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में जनपदीय/मण्डलीय/राज्यस्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनाएं एवं आख्या मांगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 10-विद्यालय प्रबंध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश लिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 11-शिक्षण का माध्यम हिन्दी रखा जायेगा तथा अंकों के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जायेगी।
- 12-कक्षा 6 से 8 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएं संचालित नहीं की जायेगी। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 13-विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकता अनुसार उपयुक्त निजी भवन होना एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। नेशनल विल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14-विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधतन्त्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दिवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती, धूप एवं ठण्ड से बचाव की प्रयाप्त व्यवस्था तथा कक्षा-कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँचन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
15-विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

16-विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश लिया जायेगा, जिनके बैठने की सम्पूर्ण व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप खेल-कूद के लिए पर्याप्त किंडा स्थल उपलब्ध होना चाहिए।

17-शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय-मुत्रालय एवं हाथ साफ करने के लिये समुचित व्यवस्था तथा पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है।

18-कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें खेलकूद का सामान मानचित्र शैक्षिक चार्ट विज्ञान सामग्री भौगोलिक नक्शे ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट सामान्यज्ञान शिक्षाप्रद पुरस्के तथा पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।

19-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली-1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा निजी स्रोतों से किया जायेगा।

20-जि0बे0शि0अधि0 की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्षा अथवा अनुभाग न खोला जायेगा न ही, बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा। विद्यालय स्वचित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।

21-विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा। जो स्टाफ के वेतन अनुशासन व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के प्रयाप्त हो। वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी तथा समायोपरान्त शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई भी शुल्क विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

22-विद्यालय/संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार यू-डायस + से संबंधित सूचनाएँ/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।

23-शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या-540/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 02 जुलाई 2020 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(बुद्ध प्रिय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लखीमपुर-खीरी

पृ0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1-शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

3-सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

4-अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ।

6-जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर-खीरी।

7-खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लखीमपुर-खीरी



**Office of the District Basic Education Officer
KHERI**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **PT DEENDAYAL UPADHYAY SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE CBSE, VILLAGE AND POST UDAIPUR GOLA ROAD LAKHIMPUR KHERI** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to PT DEENDAYAL UPADHYAY SARASWATI VIDYA MANDIR INTER COLLEGE CBSE is **KHE0923013155**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:26-03-2022 To:26-03-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4. School Type

Primary School(1 to 5)

5. Recognition No.

KHE0923013155

DATE:- 26-03-2022

PLACE:- KHERI

District Basic Education Officer

Digitally signed by laxmi kant pandey
Date: 2022.03.26 13:03:34
Reason: For Digital Signature
Location: KHERI

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premap.in

signed using www.signer.digital.went.in